

राजकीय बिड़लामहाविद्यालय, भवानीमंडी, झालावाड़(राजस्थान)

कोटा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

झालावाड़ रोड़, भवानी मंडी, झालावाड़  
(राजस्थान)

पिन - 326502

e-mail:-gbc\_bwm@yahoo.in &

govtbirlacollege@gmail.com

Contact No.:- 07433-222125



विवरणिका

2024-25

महाविद्यालय प्रशासन

कार्यवाहक प्राचार्य— प्रो. मनीष गुप्ता

## विवरणिका समिति

प्रभारी – श्री रास बिहारी सोनी  
सदस्य— डॉ. मनीषा वर्मा  
सदस्य— श्री महेन्द्र कुमार जीनगर  
सदस्य— डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा  
सदस्य— श्री प्रसादी लाल बैरवा

**For online admission: -  
[www.hte.rajasthan.gov.in](http://www.hte.rajasthan.gov.in)**

**College Web page link-**

<https://hte.rajasthan.gov.in/college/gbbhawanimandi>

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1.	प्राचार्य सन्देश	4
2.	महाविद्यालय एक परिचय	5
3.	पाठ्यक्रम व कक्षा में उपलब्ध सीटों की संख्या	6-11
4.	सह-शैक्षणिक गतिविधिया	12-14
5.	अनुशासन सम्बन्धी नियम	14
6.	उपस्थिति नियम	15
7.	पुस्तकालय सम्बन्धी नियम	15-16
8.	महाविद्यालय छोड़ने से संबंधित नियम	17
9.	छात्रवृत्तियाँ	17
10.	रेंजिंग से सावधान	17-18
11.	प्रवेश समिति	18
12.	महाविद्यालय परिवार	19
13.	मंत्रालयिक/अधीनस्थ कार्मिक	20



# प्राचार्य सन्देश

## प्रिय विद्यार्थियों

नवीन शैक्षणिक सत्र 2024–25 में राजकीय बिड़ला महाविद्यालय, भवानीमण्डी में आपका हार्दिक अभिनन्दन।

विद्यार्थी काल व्यक्ति के जीवन का दर्पण एवं स्वर्णिम काल होता है कहा जाता है कि 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते' अर्थात् ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं इसलिए असीम संभावनाओं से परिपूर्ण इस विद्यार्थी जीवन में ज्ञानार्जन के प्रति आप पूर्ण सजग एवं सचेष्ट रहें।

विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। आपके मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास हेतु भी यह महाविद्यालय सतत् प्रयत्नशील है। आपके ज्ञान संवर्धन हेतु महाविद्यालय का पुस्तकालय नवीनतम पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों से समृद्ध है। युवा विकास केन्द्र, एन.एस.एस., रोवर्स एवं रेंजर्स, योजना मंच, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा आपको अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने के अवसर सत्र पर्यन्त प्रदान किये जाते हैं, जिनका अनुकूलतम प्रयोग करना आपका दायित्व है। यहाँ के शिक्षक अत्यन्त अनुभवी तथा अपने विषय में पारंगत हैं। 'विनीतशिष्याः हि फलं लभन्ते' उक्ति को सार्थकता प्रदान करतेहुए आप अपने गुरुजनों को पूर्ण सम्मान दें तथा कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होकर शिक्षकों की विद्वता एवं अनुभव से स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं समृद्ध करें।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञानदूत एवं ज्ञानसुधा कार्यक्रम के माध्यम से Youtube Channel द्वारा ऑन-लाईन अध्यापन एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है, साथ ही पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन के लिए महाविद्यालय के Youtube Channel पर भी पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाकर ज्ञानार्जन में वृद्धिकरें।

महाविद्यालय आपकी धरोहर है। इसके भौतिक स्वरूप के संरक्षण एवं संवर्धन तथा पूर्व अर्जित गौरव में अभिवृद्धि हेतु, आपका महाविद्यालय से आत्मिक जुड़ाव होना अपरिहार्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि व्यक्तित्व विकास में सहायक-महाविद्यालय के गुणात्मक शैक्षिक वातावरण से आप स्व निहित "पात्रता" का सर्वांगीण विकास करके मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे, साथ ही अपने अनुशासित, शिष्ट एवं संवेदनशील "आचार" एवं "विचार" से समाज में यह चरितार्थ करेंगे कि "विद्या ददाति विनयम्"। आपके स्वर्णिम भविष्य तथा महाविद्यालय के चहुँमुखी विकास हेतु शुभकामनाओं सहित।

(प्रो. मनीष गुप्ता)

कार्यवाहक प्राचार्य

राजकीय बिड़ला महाविद्यालय,

भवानीमण्डी

## महाविद्यालय एक परिचय

राजस्थान के दक्षिण-पूर्व तथा झालावाड़ जिले के मध्य प्रदेश की सीमा से सटे दिल्ली-मुम्बई रेलवे मार्ग पर स्थित भवानीमण्डी नगर की स्थापना झालावाड़ नरेश श्रीयुत भवानीसिंह जी ने सन् 1910 ई. में भवानीगंज के नाम से की थी, जो वर्तमान में भवानीमण्डी के नाम से प्रसिद्ध है।

मालवी लोक संस्कृति की स्पष्ट छाप यहाँ के जनजीवन पर दृष्टिगोचर होती है। स्थापना के कुछ ही वर्षों में यह शहर प्रसिद्ध व्यापारिक व औद्योगिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री के.के. बिड़ला द्वारा यहां पर 1960 में राजस्थान टैक्सटाईल मिल्स की स्थापना की गई।

इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1975 में एक निजी वाणिज्य महाविद्यालय के रूप में हुई थी। सत्र 1983-84 से कला संकाय प्रारम्भ हुआ। जिसमें हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषय में अध्ययन शुरू किया गया।

दिनांक 05-12-1991 से इस महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अधिग्रहण कर लिया गया। सत्र 2005-06 से यहां विज्ञान संकाय प्रारम्भ हुआ तथा एस.एफ.एस. में हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर का सत्र 2002-03 से प्रारम्भ हुआ। स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2017-18 से एम.कॉम – ए.बी.एस.टी., एम.एस.सी. – रसायन शास्त्र का पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

इस महाविद्यालय में नगर के छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों सुनेल, पिड़ावा, पचपहाड़, गंगधार, डग, चौमेहला, झालावाड़ रोड़, रामगंजमंडी व अन्य ग्रामों के छात्र-छात्राएँ अध्ययन हेतु आते हैं।

यह महाविद्यालय भवानीमण्डी-झालावाड़ मार्ग पर नगर से 4 कि. मी. दूर मुख्य मार्ग पर स्थित है। जिला मुख्यालय से सड़क मार्ग द्वारा यह 45 कि.मी. व औद्योगिक व शैक्षणिक नगर कोटा से रेल मार्ग द्वारा 101 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

वर्तमान में यह महाविद्यालय नगर की सर्वोच्च शिक्षण संस्था है एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी., तथा स्नातकोत्तर (सभी विषयों) का परीक्षा केन्द्र है, आईये आप हम सभी मिलकर इसके विस्तार एवं विकास का संकल्प लें।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

सत्र 2024-25 में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विषयचयन की सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध है -

## A. कला संकाय

A.1. बी.ए. सेमेस्टर प्रणाली :-

अनिवार्य विषय:-

1. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
2. सामान्य अंग्रेजी
3. सामान्य हिन्दी
4. पर्यावरण अध्ययन आपदा प्रबन्धन

नोट:-

1. उर्दू के साथ हिन्दी विषय का चयन नहीं किया जा सकता।
2. विषयों में उपलब्ध स्थानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेशार्थी को तीन विषयों का आवंटन प्रवेश सूची में उसके (Merit Order) के आधार पर किया जाएगा। विषयों में सीमित स्थानों के कारण ऐसा हो सकता है कि प्रवेशार्थी को उसकी पसंद के वैकल्पिक विषय आवंटित नहीं किये जा सकें। आवेदन-पत्र में विषय अंकित कर देने मात्र प्रवेशार्थी को उन विषयों के अध्ययन का अधिकार नहीं मिल सकेगा। प्रवेश सूची में प्रवेशार्थी की मेरिट ही विषय सूची के आवंटन का आधार/मानदण्ड होगा।
3. विद्यार्थी द्वारा इच्छित वैकल्पिक विषयों के स्थान उपलब्ध न हो तो महाविद्यालय द्वारा आवंटित विषय/विषय समूह स्वीकार करना होगा। आवंटित विषय समूह में प्रवेश शुल्क जमा करवाने के बाद शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
4. अभ्यर्थी का प्रवेश होने के उपरान्त विषय परिवर्तन निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर योग्यता क्रम (Merit Order)से केवल रिक्त स्थानों पर ही किया जा सकेगी।

वैकल्पिक विषय समूह:-

क्रम संख्या 01 से 19 में अंकित विषय समूहों को वरीयता

## क्रम में भरें।

S. No.	Subject - 1	Subject - 2	Subject - 3
1.	Hindi Litt.	English Litt.	Economics
2.	Hindi Litt.	English Litt.	History
3.	Hindi Litt.	English Litt.	Political science
4.	Hindi Litt.	Sanskrit	Economics
5.	Hindi Litt.	Sanskrit	History
6.	Hindi Litt.	Sanskrit	Political science
7.	Hindi Litt.	Economics	Political science
8.	Hindi Litt.	Political science	History
9.	Urdu	English Litt.	Economics
10.	Urdu	English Litt.	History
11.	Urdu	Sanskrit	Political science
12.	Urdu	Sanskrit	History
13.	Urdu	English Litt.	Political science
14.	Urdu	Economics	Political science
15.	Urdu	Political science	History
16.	English Litt.	Economics	Political science
17.	English Litt.	History	Political science
18.	Sanskrit	Economics	Political science
19.	Sanskrit	History	Political science

**Course Name:- B.A. Sem - I**

**Subject wise seats:- 400**

**A.1.2. बी.ए. भाग द्वितीय तथा तृतीय:-**

❖ भाग प्रथम में चयन किया गया वैकल्पिक विषय समूह ही भाग द्वितीय व तृतीय में बना रहेगा।

**A.2.एम.ए. (सेमेस्टर प्रणाली) :-**

❖ कला संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा निम्नांकित विषय में संचालित की जा रही हैं -

❖ हिन्दी (60 Seats)

**A.2.1.एम.ए. (सेमेस्टर I) :- प्रश्नपत्र**

- 1) हिन्दी साहित्य का इतिहास (आदिकाल एवं भक्तिकाल)
- 2) प्राचीनकाव्य - I
- 3) मध्यकालीनकाव्य - I
- 4) हिन्दी कथा साहित्य - I

**A.2.2.एम.ए. (सेमेस्टर II) :- प्रश्नपत्र**

- 1) हिन्दी साहित्य का इतिहास (रीतिकाल एवं आधुनिककाल)

- 2) प्राचीनकाव्य - II
- 3) मध्यकालीनकाव्य - II
- 4) हिन्दी कथा साहित्य - II

A.2.3. एम.ए. (सेमेस्टर III) :- प्रश्नपत्र

- 1) आधुनिक काव्य - I
- 2) साहित्यशास्त्र - I
- 3) भाषाविज्ञान - I
- 4) हिन्दी कहानी - I

A.2.4. एम.ए. (सेमेस्टर IV) :- प्रश्नपत्र

- 1) आधुनिक काव्य - II
- 2) साहित्यशास्त्र - II
- 3) भाषाविज्ञान - II
- 4) प्रेमचन्द : विशेष लेखक

## B. विज्ञान

B.1. बी.एस सी. (सेमेस्टर प्रणाली) :-

A.1.1. बी.एससी. प्रथम :-

अनिवार्य विषय :-

1. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
2. सामान्य अंग्रेजी
3. सामान्य हिन्दी
4. पर्यावरण अध्ययन व आपदा प्रबन्धन

वैकल्पिक विषय समूह :-

For Biology Group



S. No.	Subject - 1	Subject - 2	Subject - 3
1.	Chemistry	Botany	Zoology
<b>For Math Group</b>			
1.	Chemistry	Physics	Mathematics

**Course Name:- B.Sc. Sem - I**

**Subject wise seats:- 88 (Maths)**

**Subject wise seats:- 88 (Biology)**

**A.1.2. बी.एससी. भाग द्वितीय तथा तृतीय:-**

- ❖ भाग प्रथम में चयन किया गया वैकल्पिक विषय समूह ही भाग द्वितीय व तृतीय में बना रहेगा।

**A.2.एम. एससी. (द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) :-**

- ❖ विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा निम्नांकित विषय में संचालित की जा रही हैं - रसायनशास्त्र (40 Seats)

**A.2.1.एम. एससी. (1<sup>st</sup> year; I semester) :- Papers**

- 1) Inorganic chemistry
- 2) Organic chemistry
- 3) Physical chemistry
- 4) Mathematics for chemists and biology for chemists

**A.2.2.एम. एससी. (1<sup>st</sup> year; II semester) :- Papers**

- 1) Inorganic chemistry
- 2) Organic chemistry
- 3) Physical chemistry
- 4) Computer application in chemistry

**A.2.1.एम. एससी. (2<sup>nd</sup> year; III semester) :- Papers**

- 1) Common paper : Chromatography
- 2) Common paper : Spectroscopy
- 3) Specialization paper -I : I/II/III/IV/V
- 4) Specialization paper -II : I/II/III/IV/V
- 5) Specialization paper -II : I/II/III/IV/V

**A.2.1.एम. एससी. (2<sup>nd</sup> year; IV semester):- Papers**

- 1) Common paper : Environmental chemistry
- 2) Common paper : Recent method of chemical synthesis
- 3) Specialization paper - I : I/II/III/IV/V
- 4) Specialization paper - II : I/II/III/IV/V
- 5) Specialization paper - II : I/II/III/IV/V

## C. वाणिज्य

**C.1.वाणिज्य (सेमेस्टर प्रणाली) :-**

**C.1.1. वाणिज्य प्रथम:-**

**अनिवार्य विषय:-**

- 1.प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
- 2.सामान्य अंग्रेजी
- 3.सामान्य हिन्दी
- 4.पर्यावरण अध्ययन व आपदाप्रबन्धन

**वैकल्पिक विषय समूह:-**

S. No.	Subject - 1	Subject - 2	Subject - 3
1.	ABST	EAFM	Bus. Admn.

**Course Name:- B.Com. Sem - I**

**Subject wise seats:- 80**

**A.1.2. बी.कॉम. भाग द्वितीय तथा तृतीय:-**

- ❖ भाग प्रथम में चयन किया गया वैकल्पिक विषय समूह ही भाग द्वितीय व तृतीय में बना रहेगा।

**A.2.एम. कॉम. (द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) :-**

- ❖ वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा निम्नांकित विषय में संचालित की जा रही हैं - ABST (60 Seats)

**A.2.1.एम. कॉम. (1<sup>st</sup> year; I semester):- Papers**

- 1) Advanced Management Accounting
- 2) Advanced Statistical Analysis
- 3) Corporate Financial Accounting
- 4) Cost Accounting and Managerial Decisions

**A.2.2. एम. कॉम. (1<sup>st</sup> year; II semester) :- Papers**

- 1) Operational Research
- 2) Ethics in Accounting
- 3) Research Methodology
- 4) Security Analysis and Portfolio Management
- 5) Choice Based Subject

**A.2.3. एम. कॉम. (2<sup>nd</sup> year; III semester) :- Papers**

- 1) GST and Customs Taxation
- 2) Cost Audit Standards and Management Audit
- 3) Risk Management/ Government Accounting and Auditing/  
Behavioural Finance
- 4) Project Planning and Control/Accounting and Financial Instruments/  
On the Job Training
- 5) Choice Based Subject

**A.2.4. एम. कॉम. (2<sup>nd</sup> year; IV semester) :- Papers**

- 1) Innovation in Technology for Accounting and Finance
- 2) Corporate Taxation, Planning and Management
- 3) Auditing, Assurance and Standards of Audit/ Advanced Financial  
Accounting/Strategic Performance Management
- 4) Corporate Governance & CSR/ Financial Planning, Budgeting &  
Valuation/ Dissertation/ Seminar

सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

(अ) खेलकूद :-

शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा, एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा से मानसिक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास भी होता है। शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखना भी आवश्यक है। अतः इस महाविद्यालय में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, हैण्डबाल, हॉकी, शतरंज, कैरम स्पोर्ट्स तथा अन्य खेलों की सुविधाएँ हैं।

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में प्रतिवर्ष खेलकूद गतिविधियों का आयोजन प्राचार्य के मार्गदर्शन में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष अन्तर कक्षा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। महाविद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली अन्तर-महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त करते हैं विजेता विद्यार्थियों को वार्षिक उत्सव में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

(ब) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :-

गाँधी शताब्दी वर्ष में एन.एस.एस. का शुभारम्भ राष्ट्रीयता से ओत प्रोत युवाओं में अटूट विश्वास का प्रतीक है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन.एस.एस. ने शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का कार्य किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी शिक्षण के साथ-साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्र भक्त एवं योग्य नागरिक बनें।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने एवं विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर विद्यार्थी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते हैं तथा इस प्रकार समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में विद्यार्थियों को नियमित गतिविधियों के अंतर्गत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद, आशुभाषण, क्विज, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा 7 दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले प्रत्येक स्वयं सेवक को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की दो इकाई स्वीकृत हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष 200 विद्यार्थी पंजीकृत किये जाते हैं। एन.एस.एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है।

(स) महिला प्रकोष्ठ :-

महिला प्रकोष्ठ में प्रत्येक छात्रा की सदस्यता अनिवार्य है। इसके माध्यम से छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की सह शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है एवं समस्याओं के समाधान सम्बन्धी सार्थक सुझाव देने हेतु छात्राओं को आमंत्रित किया जाता है।

(द) युवा विकास केन्द्र :-

युवाओं को वैचारिक गतिविधियों से जोड़ने एवं राष्ट्र के विकास में व्यापक भागीदारी निभाने हेतु महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र का संचालन किया जाता है। युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अध्ययन के साथ-साथ व्यक्तित्व एवं भविष्य निर्माण के विभिन्न प्रतिमान, अवसरों की जानकारी तथा उनके अनुसार स्वयं को तैयार करने हेतु विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया जाता है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व-विकास हेतु विभिन्न विषय के विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान मालाओं एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

(य) योजना मंच :-

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को देश की अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन का ज्ञान देने के लिये राज्य सरकार द्वारा योजनामंच का गठन महाविद्यालय में प्रतिवर्ष किया जाता है। इस योजना में विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे – सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, सर्वेक्षण आदि कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

(र) नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ :-

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने एवं विद्यार्थियों की कौशल दक्षता में वृद्धि करने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के निर्देशानुसार महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इस प्रकोष्ठ के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार ऑनलाईन कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण किये गये तथा पाठ्यक्रमों का लाभ लिया जा रहा है।

(ल) रोवर्स/रेंजर्स :-

विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाये रखने एवं सामाजिक सरोकारों से जोड़ने हेतु महाविद्यालय में स्काउट गाइड के अन्तर्गत छात्रों हेतु रोवर्स व छात्राओं हेतु रेंजर्स की गतिविधियाँ संचालित हैं। इच्छुक छात्र-छात्राओं द्वारा इन इकाईयों में पंजीकरण करवाया जाता है।

(व) छात्रसंघ :-

लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की भांति इस महाविद्यालय में भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा छात्रसंघ का गठन किया जायेगा। छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। छात्रसंघ के पदाधिकारियों को महाविद्यालय प्रशासन के साथ समन्वय रखते हुए शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन व आयोजन में सत्र पर्यन्त सहयोग करना होता है। पिछले 2 वर्ष से राज्य सरकार के निर्देशानुसार छात्रसंघ चुनाव कार्य सम्पन्न नहीं हो रहे हैं।

(ष) पारितोषिक :- महाविद्यालय में कक्षा वार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तथा खेलकूद, छात्रसंघ, राष्ट्रीय सेवा योजना, योजना मंच युवा कौशल व विकास प्रकोष्ठ, स्काउट गाईड एवं महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं के

आधार पर विजेता एवं रोवर्स, रैंजर्स प्रतिभागियों को वार्षिक समारोह में पारितोषिक प्रदान किये जाते हैं।

### अनुशासन सम्बन्धी नियम

- विधार्थी अपना परिचय –पत्र सदैव अपने साथ रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- महाविद्यालय परिसर में श्रेष्ठ आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितान्त आवश्यक है।
- महाविद्यालय परिसर में पूर्ण अनुशासन बनाये रखें। अनुशासनहीनता के दोषी छात्र को दण्डित एवं महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- कक्षाओं के भीतर व बाहर शांति बनाए रखनी होगी।
- महाविद्यालय सम्पत्ति का उचित संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा उन्हें हानि न पहुँचायें।
- अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय एवं वाचनालय में करें।
- छात्र अपने शिक्षकों के प्रति सदैव शालीन रहें। प्रत्येक परिसंवाद और विचार विमर्श में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अनिवार्य है।
- महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में केवल महाविद्यालय के नियमित विधार्थी ही भाग ले सकते हैं।
- किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने के लिए प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
- पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाएँ एवं अच्छी पुस्तकें इत्यादि पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान की वृद्धि करें।
- पूर्व छात्र (Ex-Student) प्राचार्य की अनुमति प्राप्त कर ही कक्षा में बैठें।
- महाविद्यालय परिसर धूम्रपान व तम्बाकू निषिद्ध क्षेत्र है। लिप्त पाये गये विधार्थियों को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।
- उपर्युक्त अनुशासनहीन विधार्थियों के विरुद्ध कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के आर्डिनेन्स 81, 88 व 152ए के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

### उपस्थिति नियम

- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी विषयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर संबंधित विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
- राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर् महाविद्यालय प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता आदि में भाग लेने वाले दिवसों की उपस्थिति दी जायेगी।

- यदि कोई विद्यार्थी विषय परिवर्तन करता है तो पूर्व विषय की उपस्थिति नये विषय की उपस्थिति में नहीं जोड़ी जायेगी। यदि कोई छात्र इस महाविद्यालय में सत्र के मध्य में किसी अन्य महाविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आते हैं, तो स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में पूर्व महाविद्यालय द्वारा अंकित उपस्थिति कुल उपस्थिति में जोड़ दी जायेगी।
- कोटा विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति नियम ही मान्य होंगे।
- विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली निश्चित छूट के बाद भी यदि विद्यार्थी की उपस्थिति पूरी नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी नियमित छात्र के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। किन्तु विद्यार्थी निश्चित परीक्षा शुल्क देने के बाद उसी कक्षा की स्वयंपाठी (Non Collegiate) विद्यार्थियों के लिये ली जाने वाली परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त कर सकेगा।

### पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

- विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश होते ही वह अपनी फीस जमा कराने की रसीद व परिचय पत्र दिखला कर पुस्तकालय से पुस्तकें घर ले जाने हेतु रीडर्स टिकिट जिन पर प्रत्येक पर एक पुस्तक ले जा सकता है, प्राप्त कर लें।
- पुस्तकें 15 दिवस हेतु घर पर अध्ययन के लिए दी जाती है। पुस्तकों पर तारीख अंकित कर दी जाती है, जिस तारीख को पुस्तक पुस्तकालय में जमा की जानी है, इसके बाद विलम्ब से पुस्तक लाने पर प्रति दिवस प्रति पुस्तक नियमानुसार दण्ड राशि विद्यार्थी को जमा करवानी पड़ेगी।
- पुस्तकालय में "मुक्त द्वार प्रणाली" है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी अपने पसन्द की पुस्तक ले जा सकता है।

विद्यार्थी पुस्तक घर ले जाने से पूर्व अवश्य देख लें उनमें पृष्ठ कटे-फटे हुए नहीं हैं। इन परिस्थितियों में पुस्तक, पुस्तकालय अध्यक्ष को अवश्य दिखा कर उसके हस्ताक्षर करवा लेवें अन्यथा पुस्तक जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। पुस्तक उपलब्ध न होने पर उसे पुस्तक की दुगुनी राशि जमा करवानी होगी।

पुस्तकालय में उसी विद्यार्थी को आने दिया जावेगा, जो द्वारपाल को अपना परिचय पत्र (Identity Card) दिखाएगा।

परिचय पत्र दिखाने पर ही पुस्तक घर ले जाने वाले कार्ड (Readers Ticket) पर पुस्तकें घर ले जाने हेतु दी जावेगी।

प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, प्रश्न बैंक, प्रश्न पत्र एवं पाठ्य पुस्तकें परिचय पत्र संबंधित कर्मचारी को देकर प्राप्त करें।

Readers Ticket (पुस्तक प्राप्ति का कार्ड) कोई विद्यार्थी खो देगा तो उसे दूसरा कार्ड नहीं दिया जावेगा, साथ ही उनके खोये "पुस्तक प्राप्ति कार्ड" पर यदि अन्य विद्यार्थी पुस्तक घर ले जाएगा जो उसकी सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उसी की होगी। कार्ड खो जाने की सूचना तुरन्त पुस्तकालय अध्यक्ष को करें। प्राचार्य महोदय की विशेष अनुमति पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने पर दूसरा कार्ड

बनाया जा सकता है। पुस्तकालय का कोई बकाया नहीं, ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को आवेदन पत्र पर अपना पूरा नाम, कक्षा, सदस्यता संख्या तथा वर्ष एवं कौन से वर्ष में महाविद्यालय छोड़ा उसका स्पष्टीकरण अवश्य देना होगा।

पुस्तकालय के सूचना पट्ट पर देर से प्राप्त होने वाली पुस्तकों पर लगाये गये दण्ड राशि की सूचना आगामी मास की 7 तारीख को प्रति मास लगा दी जाती है। निश्चित तारीख पर दण्ड राशि जमा न करवाने पर एक रूपये प्रति दिवस दण्ड राशि नियमानुसार अलग से देनी होगी।

विद्यार्थी निश्चित समय के उपरान्त भी एक मास तक पुस्तक जमा नहीं कराए तो उसे नियमानुसार दण्ड राशि जमा करवानी होगी, साथ ही उसका नाम महाविद्यालय से काट दिया जावेगा। परिणामस्वरूप उसे पुनः शुल्क जमा करवाकर प्रवेश लेना होगा।

पुस्तकालय में प्रवेश के उपरान्त शांति से बैठकर अध्ययन करें। पुस्तकें आपकी ही हैं। आप इनके माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करें। कोई भी विद्यार्थी पुस्तकालय में बातें करता हुआ अथवा अन्य निरर्थक कार्य करता हुआ पाया गया तो पुस्तकालय अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसे पुस्तकालय से बाहर निकाल दें, साथ ही ऐसे विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासन भंग करने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

कोई विद्यार्थी पुस्तकों अथवा पत्र-पत्रिकाओं पर अनर्गल वाक्य लिख कर उनको विकृत करने के प्रयास में पकड़ा गया तो उसे नई पुस्तक व पत्र-पत्रिका तो जमा करवानी ही होगी साथ में 5 रूपये नियमानुसार दण्ड स्वरूप जमा करवाने पड़ेगे। पुस्तक व पत्र पत्रिका तथा अन्य वस्तु को पुस्तकालय से चोरी करता पकड़ा गया तो कठोर सजा दी जावेगी।

### महाविद्यालय छोड़ने से संबंधित नियम

जो विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ना चाहे वह लिखित में अपना आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उससे उस दिन तक के सभी बकाया वसूल किए जाएंगे, जिस दिन उसका नाम महाविद्यालय से काटा जाता है।



स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उसका शुल्क 50/- रुपये कार्यालय में दे कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इस प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित पदाधिकारियों से अदेय प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करें :-

- (क) पुस्तकालयाध्यक्ष (ख) महाविद्यालय कार्यालय (ग) खेल-कूद अधिकारी  
(ड) महाविद्यालय का लेखा विभाग (च) एन.एस.एस. अधिकारी (छ) स्काउटगाईड  
(ज) महिला प्रकोष्ठ

## छात्रवृत्तियाँ

1. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
2. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
3. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
4. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (समाजकल्याण)
5. अल्पसंख्यक
6. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर उपलब्ध छात्रवृत्तियाँ

## रैगिंग से सावधान

माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी विद्यार्थी की रैगिंग लेने, चिढ़ाने या तंग करने को संज्ञेय अपराध घोषित किया है। कहे, लिखे गए शब्दों या कृत्यों के जरिये ऐसा कोई उपद्रवी व्यवहार जिसमें दूसरों को सताने का भाव निहित हो, दूसरे विद्यार्थियों के साथ रुखाई से पेश आना, उपद्रवी या अनुशासनहीन कार्यवाहियों में लिप्त होना, जिसके चलते नवागन्तुक या किसी कनिष्ठ विद्यार्थी के मन में गुस्सा, भय व्याप्त हो या उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंचे इसके अलावा कनिष्ठ विद्यार्थी से ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहना जो सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जा सकें, रैगिंग या तंग करने की श्रेणी में आता है।

किसी भी विद्यार्थी के रैगिंग की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा अथवा उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। अतः आवश्यक है कि वरिष्ठ विद्यार्थी अपने नव प्रवेशित विद्यार्थी साथी से सद्व्यवहार करें और महाविद्यालय वातावरण से परिचित कराने में सहयोग दें तथा रैगिंग का विरोध कर विद्यार्थियों को जागरूक करें।

## प्रवेश समिति

सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश संबंधी कार्य में निष्पादन हेतु विभिन्न संकायों के लिए प्रवेश समितियों का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :-

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाईल नम्बर
1	श्री राजेन्द्र कुमार	स्नातक नोडल अधिकारी	9587424668
2	डॉ. मनीषा वर्मा	संयोजक कला संकाय	7891835124
3	श्री आयुष गुप्ता	सह संयोजक कला संकाय	8764449913
4	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	सह संयोजक कला संकाय	9784362425
5	श्री प्रसादी लाल बैरवा	स्ताकोत्तर प्रवेश प्रभारी	9414610639
6	डॉ. मोनिका मीणा	सह संयोजक स्नातकोत्तर हिन्दी	9782844875
7	श्रीमती नेहा सैनी	सह संयोजक स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र	9799894923
8	नेमीचन्द मीणा	सह संयोजक वाणिज्य संकाय	9829530857
9	श्री अभिषेक वर्मा	सह संयोजक वाणिज्य संकाय	9414847881
10	श्री रास बिहारी सोनी	संयोजक विज्ञान संकाय	8094261262
11	श्री महेन्द्र कुमार जीनगर	सह संयोजक विज्ञान संकाय	7222875548

## महाविद्यालय परिवार

क्र.सं.	नाम	पद	फोन नं.
1	प्रो. मनीष गुप्ता	कार्यवाहक प्राचार्य	9413344928
2	श्री राजेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य	9587424668

3	श्री नेमीचन्द मीणा	सहायक आचार्य	9829530857
4	श्री रास बिहारी सोनी	सहायक आचार्य	8094261262
5	डॉ. मनीषा वर्मा	सहायक आचार्य	7891835124
6	श्री आयुष गुप्ता	सहायक आचार्य	8764449913
7	श्री महेन्द्र कुमार जीनगर	सहायक आचार्य	7222875548
8	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	सहायक आचार्य	9784362425
9	डॉ. मोनिका मीणा	सहायक आचार्य	9782844875
10	श्री प्रसादी लाल बैरवा	सहायक आचार्य	9414610639
11	श्री अभिषेक वर्मा	सहायक आचार्य	9414847881
12	श्रीमती नेहा सैनी	सहायक आचार्य	9799894923

मंत्रालयिक / अधीनस्थ  
कार्मिक

1	श्री गोपाल लाल रेगर	वरिष्ठ सहायक	9460519208
2	श्री राकेश कुमार नागर	कनिष्ठ लिपिक	9571456130
3	श्री संतोष शर्मा	प्रयोगशाला सहायक	6367701348
4	श्रीमती एकता शर्मा	प्रयोगशाला सहायक	7073878258
5	श्री राजेश कुमार मीणा	प्रयोगशाला सहायक	7014559176
6	श्री रवि कुशवाह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9660669650